आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

REC Limited | आर ई सी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालय: कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2026/2900 **दिनांक: 28,जून, 2026**

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 051 400	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 001 400
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	**Corporate Relationship Department** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय: विलय योजना की मंजूरी के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति।

महोदय / महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार, आरईसी लिमिटेड ("हस्तांतरणकर्ता कंपनी") और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("हस्तांतरी कंपनी") के निदेशक मंडल तथा उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों द्वारा विलय योजना को दि गई मंजूरी के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति इसके साथ **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

आपका धन्यवाद,

भवदीय,
आरईसी लिमिटेड के लिए

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संलग्नः उपरोक्त के अनुसार

अनुलग्नक-1

पीएफसी और आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा विलय योजना को मंजूरी

28-06-2026 - पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत, आरईसी ("हस्तांतरणकर्ता कंपनी) का पीएफसी (हस्तांतरी कंपनी) में विलय करने और उनके संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों के लिए विलय की योजना (योजना) को मंजूरी दे दी है। पीएफसी में आरईसी के इस विलय से 11 लाख करोड़ रूपये से अधिक की कुल ऋण पुस्तिका वाली एक विशाल वित्तीय इकाई का निर्माण होगा।

यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ लागू कानून के तहत आवश्यक सभी अनिवार्य मंजूरियों और सहमतियों की प्राप्ति के अधीन और सशर्त है, जिसमें दोनों कंपनियों के संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों, तथा सभी प्रासंगिक नियामक और सरकारी अधिकारियों से मिलने वाली मंजूरियां शामिल हैं; और यह भी कि विलय के बाद बनी इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक 'सरकारी कंपनी' के रूप में योग्य बनी रहे तथा भारत सरकार विलय के बाद बनी इकाई में (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) बहुमत मतदान मतदाधिकार और नियंत्रण बनाए रखना जारी रखे।

योजना और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसरण में, पीएफसी में आरईसी के प्रस्तावित विलय के लिए शेयर विनिमय अनुपात इस प्रकार होगाः आरईसी के प्रत्येक 100 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों (प्रत्येक मूल्य 10 रूपये) के बदले पीएफसी के 88 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर (प्रत्येक मूल्य 10 रूपये) जारी किए जाएंगे। ये शेयर आरईसी के उन शेयरधारकों को जारी किए जाएंगे जिनका नाम पीएफसी और आरईसी के निदेशक मंडलों द्वारा भविष्य में निर्धारित की जाने वाली (जैसा भी लागू हो) एक रिकॉर्ड तिथि को मौजूद होगा।

सलाहकार

डेलॉइट ट्यूश टोहमात्सु इंडिया एलएलपी पीएफसी और आरईसी दोनों के लिए लेनदेन और कर सलाहकार के रूप में और सिरिल अमरचंद मंगलदास कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए पीएफसी द्वारा आरबीएसए वैल्यूएशन एडवाइजर्स एलएलपी को और आरईसी द्वारा अर्न्स्ट एंड यंग मर्चेंट बैंकिग सर्विसेज एलएलपी को नियुक्त किया गया था। संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्टों पर अपनी-अपनी निष्पक्षता राय प्रदान करने के लिए पीएफसी द्वारा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और आरईसी द्वारा नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट को संयुक्त किया गया था।